

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 950
24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
चिकित्सा सीटों पर नीट-आधारित प्रवेश का प्रभाव

†950. श्री मङ्गुला गुरुमूर्ति:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने ग्रामीण और क्षेत्रीय भाषाई पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए चिकित्सा सीटों की उपलब्धता पर नीट-आधारित प्रवेशों के प्रभाव की समीक्षा की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार को राज्यों से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश में अधिक छूट दिए जाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाई गई एमबीबीएस सीटों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और
- (ङ) देश भर में निष्पक्ष, पारदर्शी और सुलभ चिकित्सा प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) अधिनियम, 2019 की धारा 14 चिकित्सा प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) के रूप में एक सामान्य प्रवेश परीक्षा का प्रावधान करती है, जिसे एक नामित प्राधिकरण के माध्यम से आयोजित किया जा सकता है।

नीट (यूजी) भारत में अनुमोदित/मान्यता प्राप्त मेडिकल/डेंटल/आयुष और अन्य कॉलेजों/मानित विश्वविद्यालयों/संस्थानों (एम्स और जिपमेर) में एमबीबीएस/बीडीएस/बीएएमएस/बीएसएमएस/बीयूएमएस /बीएचएमएस और अन्य स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा के रूप में कार्य करती है। नीट (यूजी) का आयोजन

निम्नलिखित 13 भाषाओं में किया जाता है: अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू।

सरकार ने देश में एमबीबीएस सीटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। पिछले पांच वर्षों में शैक्षणिक वर्ष (ए.वाई.) वार स्नातक (एमबीबीएस) सीटों की संख्या इस प्रकार बढ़ी है:

क्र.सं.	शैक्षणिक वर्ष	स्नातक सीटों की संख्या में वृद्धि (शैक्षणिक वर्षवार)	देश में स्नातक (एमबीबीएस) सीटों की कुल संख्या
1.	2022-23	7,398	99,463
2.	2023-24	9,652	1,09,115
3.	2024-25	8,641	1,17,756
4.	2025-26	11,682	1,28,976
5.	2026-27	10,513	1,39,489

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित योजना के अनुसार स्नातक (यूजी/एमबीबीएस) और स्नातकोत्तर (पीजी) चिकित्सा पाठ्यक्रमों की सीटों के लिए काउंसलिंग आयोजित करती है। स्नातक (यूजी) काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटें; केंद्रीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालयों की 100% सीटें सभी राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) में 100% सीटें शामिल हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा की 50% सीटें, केंद्रीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों और मानित विश्वविद्यालयों की 100% सीटें शामिल हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में राज्य कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आयोजित की जाती है।
